न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),संगरिया।
पीठासीन अधिकारी रमेश देव (आर.ए.एस.)
वाद सं. /2022

निर्णय दिनांक – 12/4/2025

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. राकेश कुमार पुत्र श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

वादीगण–

बनाम

1. हरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. उर्मिला पत्नि कृष्णचन्द, पुत्री श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद ओढां तह. व जिला सिरसा हरियाणा।
3. पी.एन.बी.बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, पी.एन.बी.बैंक शाखा संगरिया ।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

.....प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ

वाद बाबत घोषणा एवं विभाजन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित –

1. श्री कुलदीप सिंह सरां एडवोकेट,वादीगण
2. श्री संदीप गोदारा एडवोकेट, प्रतिवादीगण सं.1 व 2

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीबद्ध व प्रमाणित पता वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में निवेदित है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से चक नं. 2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में 4.053 है.नहरी मय गै.मु कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिर्काड है जो हमारी जददी जायदाद है जिसमें हमारा विरास्तन हक व हिस्सा है वादीगण की माता गीतादेवी पत्नी श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वादीगण व प्रतिवादी सं 2 विधिक व

12/4
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जायज वारिस है अन्य कोई भी वारिस नहीं है वादी सं 1 व 2 व प्रतिवादी सं 1 व 2 में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को लेकर पूर्व में आपस में मौखिक रूप से घराघरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रतिवादी सं 2 ने अपने हक हिस्सा की समस्त कृषि भूमि का परित्याग मौखिक रूप से अपने सगे भाईयों वादी सं 1 व 2 के पक्ष में ब.हिब.कर दिया था जिससे प्रतिवादी सं 2 का अपने पिता श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल की उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं रहा है तदउपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं 1 हरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल अच्छी मन्दी के हिसाब से पूर्व में हुए घराघरू बंटवारा अनुसार लगातार शान्तिपूर्वक बिना किसी एतराज के अपने–अपने हिस्सा अनुसार कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहें है। जमाबन्दी सलग्न वाद है। वादीगण व प्रति. सं 1 व 2 का उक्त कृषि भूमि को लेकर पूर्व में आपस में मौखिक रूप से घराघरू बंटवारा अनुसार व कब्जाकाश्त अनुसार विभाजन हो चुका है। वादीगण विभाजन के बाद से लगातार शान्तिपूर्वक बिना किसी एतराज के अपने अपने हिस्साअनुसार कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वादी सं 1 के हक हिस्सा व कब्जाकाष्त की कृषि भूमिः–

2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में

प.न.	मु.न.	कि.न.
171/197	8	12/0.253है, 19/0.253है, 22/1/0.228 है.नहरी,22/2/0.025है. गै.मु.रास्ता
171/198		2/1/0.228है.,2/2/0.25गै.मु.खाला, 9/0.253है.

कुल 1.265 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि

वादी सं 2 के हक हिस्सा व कब्जाकाष्त की कृषि भूमिः–

2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में

प.न.	मु.न.	कि.न.
171/198	14	1/2/0.025गै.मु.खाला,1/4/0.215है.10/0.253है.,11/0.253है. 20/0.253है. 21/0.253है.

कुल 1.252 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं 1 के हक हिस्सा व कब्जाकाष्त की कृषि भूमिः–

2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में

प.न.	मु.न.	कि.न.
171/197	8	2/1/0.094है, 3/0.177है. 8/0.253है, 9/0.253 है. 13/0.253है, 18/0.253है.नहरी, 23/1/0.228 है. 23/2/0.025है. गै.मु.रास्ता

कुल 1.536 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में घराघरू बंटवारा अनुसार व कब्जाकाश्त अनुसार सहमति से विभाजन हो चुका है। हम वादीगण दफा 3 अनुसार अपनी–अपनी कृषि भूमि पर लगातार शान्तिपूर्वक बिना किसी एतराज के काबिज चले आ रहे है। लेकिन उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम से दर्ज होने व वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार कृषि भूमि दर्ज न होने के कारण वादीगण को विभिन्न असुविधाओं का सामना करना पडता है। वादीगण अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि को और अधिक उपजाउ व सुविधाजनक बनाना चाहते है लेकिन प्रतिवादी सं 1 जो कि एक जिददी स्वभाव का व्यक्ति है हम वादीगण को उक्त कृषि भूमि बेचान या अन्य किसी प्रकार से अन्तरण करने की धमकिंया देता रहता है हम वादीगण को प्रतिवादी सं 1 से भय व आपस में विवाद होने की सदा संभावना बनी रहती है। हम वादीगण हमारी कृषि भूमि का दफा 3 अनुसार खाता अलग कायम करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया कि वे हमें उक्ता अनुसार हमारे हिस्सा व कब्जा काष्त की कृषि भूमि का खाता अलग कायम करवा देवें पहले तो वे आजकल–आजकल कहकर टालते रहे लेकिन अन्त में ऐसा करने से इन्कार हो गये यही वाद कारण है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 ता 2 जरिये वकील हाजिर आये व वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा राजीनामा, दस्तावेज प्रस्तुत किया गया जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया, शेष प्रतिवादी सं. 3,4की तरफ से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया, वाद पत्र का कोई विरोध नहीं होने के कारण कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी प्रकाशचन्द्र द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सी.पी.सी व वादपत्र की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी चक 2 एम.एम.के. व अन्य दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया। जिरह में वादी के वादपत्र को डिक्री किये जाने का कोई विरोध नहीं किया गया है, वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई वादीगण के वकील ने वादपत्र के तथ्यों व राजीनामा अनुसार वादपत्र डिग्री किये जाने की इस्तदुआ की है। मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, सशपथ साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी,व प्रर्दश 1 ता का गहनता से अवलोकन किया गया वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व राजीनामा के तथ्यों की पुष्टि साक्ष्य व रिकार्ड से होती है जिरह में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई विरोध नहीं किया गया व राजीनामानुसार वादपत्र को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया है ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता हैं। जबाब स्टेट व राज्य हित को ध्यान मे रखते हुए मेरे विनम्र मतानुसार वादीगण का वाद राजीनामानुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12/4

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण राजीनामानुसार डिक्री किया जाता है व वादपत्र की चरण सं. 3 अनुसार व राजीनामानुसार वादी सं.1 को तहसील संगरिया के चक 2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में प.न. 171/197 मु.न. 8 के कि.न.12/0.253है, 19/0.253है, 22/1/0.228 है. नहरी,22/2/0.025है. गै.मु.रास्ता प.न.171/198 मु.न.14 कि.न. 2/1/0.228है.,2/2/0.25 गै.मु. खाला, कि.न.9/0.253है. कुल 1.265 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि वादी सं 2 को चक 2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में प.न.171/198 मु.न.14 कि.न.1/2/0.025गै.मु.खाला,कि.न. 1/4/0.215 है.कि.न.10/0.253है.,11/0.253है.20/0.253है. 21/0.253है. कुल 1.252 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि। प्रतिवादी सं 1 को चक 2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में प.न. 171/197 मु.न.8 कि.न. 2/1/0.094है, 3/0.177है. 8/0.253है, 9/0.253 है. 13/0.253है, 18/0.253है.नहरी, 23/1/0.228 है. 23/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता कुल 1.536 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि खातेदार काश्तदार घोषित किया जाता है, व इसी अनुसार वादी सं. 1 व 2 का एंव प्रतिवादी सं1 का राजस्व रिकार्ड में पृथक से अंकन किया जावे व राजस्व रिकार्ड में रकमराज अलग से कायम की जावे। वादीगण या प्रतिवादीगण यदि कोई बैंक रहन रखी आराजी विभाजन में प्राप्त करते हैं तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर पर्चा डिक्री जारी हो, पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12/4/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12/4/23

(रमेश देव)

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया।

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें इन्तिदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया।

पीठासीन अधिकारी :– श्री **रमेश देव** आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– /2023
अनुवान मुकदमा :–

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. राकेश कुमार पुत्र श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)।

वादीगण–

बनाम

1. हरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।
2. उर्मिला पत्नि कृष्णचन्द, पुत्री श्रीहरिशचन्द्र उर्फ मदनलाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी वार्ड 20 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद ओढां तह. व जिला सिरसा हरियाणा।
3. पी.एन.बी.बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, पी.एन.बी.बैंक शाखा संगरिया ।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया ।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद बअदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया. के न्यायालय में वादीगण की ओर से श्री कुलदीप सिंह संरा एडवोकेट,वादीगण तथा श्री संदीप गोदारा एडवोकेट, प्रतिवादी सं.1 व 2 की उपस्थिति में वास्ते अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 राजीनामा के आधार पर डिकी किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि वादीगण के नाम राजीनामानुसार वादी सं.1 को तहसील संगरिया के चक 2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में प.न. 171/197 मु.न. 8 के कि.न.12/0.253है, 19/0.253है, 22/1/0.228 है.नहरी,22/2/0.025है. गै.मु.रास्ता प.न.171/198 मु.न.14 कि.न.2/1/0.228है. ,2/2/0.25 गै.मु.खाला, कि.न.9/0.253है. कुल 1.265 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि वादी सं 2 को चक 2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में प.न.171/198 मु.न.14कि.न.1/2/0.025गै.मु.खाला,कि.न.1/4/0.215है.कि.न.10/0.253है.,11/0.253है.20/0.253है. 21/0.253है. कुल 1.252 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि।प्रतिवादी सं 1 को चक 2 एम. एम. के. के वर्तमान खाता सं 96/45 में प.न.171/197 मु.न.8 कि.न. 2/1/0.094है, 3/0.177है. 8/0.253है, 9/0.253 है. 13/0.253है, 18/0,253है.नहरी, 23/1/0.228 है. 23/2/0.025है. गै.मु.रास्ता कुल 1.536 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि खातेदार काश्तदार घोषित किया जाता है, भूमि का खाता अलग किया जाता है। यदि कोई बैंक रहन रखी आराजी विभाजन में प्राप्त करतें हैं तो बैंक रहन चुकता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अमल दरामद हो,इसी प्रकार से भू राजस्व कायम किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

12/5/23
(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official